

(4)

F-11

# The U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965

[U. P. Act No. 1 of 1966 as Amended upto  
U. P. Act No. 10 of 1978]

together with  
**RULES & NOTIFICATIONS**



**EASTERN BOOK COMPANY**

Price Rs. 10-00

**9. Units.**—(1) The Board may by resolution establish a Housing Unit, for any City and, with the previous approval of the State Government, for any other area for the efficient performance of its functions in that area.

(2) Every Unit shall form part of the establishment of the Board and shall consist of such officers and servants as may be considered necessary by the Board.

(3) Every Unit shall be under the charge of an officer who shall be under the administrative control of the Housing Commissioner and shall also exercise, perform and discharge such powers, duties and functions as may be delegated to him under Section 12.

(4) So far as may be and subject to the rules, the accounts of income and expenditure of each Unit shall be kept separately and the savings of any one Unit shall be spent over that area only to which that Unit relates.

**10. Avas Samitis.**—(1) The State Government may for any Unit constitute a local advisory committee to be called Avas Samiti consisting of a Chairman and such other members and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Chairman of the Avas Samiti shall be—

- (a) in the case of a City, the Nagar Pramukh of the Nagar Mahapalika thereof;
- (b) in the case of a municipality, the President of the municipal board thereof;
- (c) in the case of any other area (which may include a municipality or part thereof), the President or Chairman of any local authority having jurisdiction in that area, to be appointed by the State Government.

(3) The Board shall consult the Avas Samiti concerned on such matters as may be prescribed and may also consult it on any other matter.

**11. Supervision and control by Housing Commissioner.**—Subject to the provisions of this Act and the rules, the Housing Commissioner shall exercise supervision and control over all officers and servants of the Board.

**12. Delegation of powers.**—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Board may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to any committee appointed by it or to the Housing Commissioner or any officer of the Board such of its powers and duties under this Act, as it may deem necessary.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules, the Housing Commissioner may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by himself, as may be specified in the order, to any officer of the Board such of his powers and duties under this Act, not being powers and duties delegated to him under sub-section (1), as he may deem necessary.

**13. Disqualification from participating in proceedings on**



## फ्लैट F-100

आर०सी०सी० स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : 600×600MM विट्रीफाईड फ्लोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : बुडन, दरवाजे : फ्लश डोर शटर्स, खिड़कियाँ : बुडन फ्रेम तथा ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: ऑयल बॉण्ड डिस्टेम्पर, बिरला पुट्टी, बाहरी सतह पर एपेक्स तथा अन्दर दरवाजों पर एनेमल पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, गीजर एवं ए०सी० प्वाइंट का अतिरिक्त प्राविधान, जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर०सी०सी० टैंक का संयुक्त प्राविधान किया जायेगा।

## फ्लैट F-127

आर०सी०सी० स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : 600×600MM विट्रीफाईड फ्लोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : बुडन, दरवाजे : फ्लश डोर शटर्स, खिड़कियाँ : बुडन फ्रेम तथा ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: ऑयल बॉण्ड डिस्टेम्पर, बिरला पुट्टी, बाहरी सतह पर एपेक्स तथा अन्दर दरवाजों पर एनेमल पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, गीजर एवं ए०सी० प्वाइंट की अतिरिक्त प्राविधान, जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर०सी०सी० टैंक का संयुक्त प्राविधान किया जायेगा।

## फ्लैट्स का विक्रय मूल्य

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	फ्लैट्स की श्रेणी	फ्लैट्स की तल वार अनुमानित लागत (रु. लाख में)	सुपर एरिया (वर्ग मी०)	अच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. में)	घयन के पश्चात् मांग-पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर देय धनराशि (रु. में)	तिमाही किश्तों की संख्या	अवशेष भुगतान तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु. में)	
1.	F-32	F-1	स्व वित्तपोषित	भूतल प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल	10.10 9.20 9.10 9.00	32.95	30.12	960	9.00	45000.00	105000.00	05	150000.00
2.	F-64	F-2	स्व वित्तपोषित	भूतल प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल	22.40 20.60 20.30 20.10	64.24	61.89	416	20.10	100000.00	260000.00	05	330000.00
3.	F-100	F-3	स्व वित्तपोषित	बहुमंजिले भवन (10 मंजिले)	35.60	99.84	84.34	280	35.60	178000.00	337000.00	07	435000.00
4.	F-127	F-4	स्व वित्तपोषित	बहुमंजिले भवन (10 मंजिले)	45.38	126.81	111.81	40	45.38	227000.00	461000.00	07	550000.00

**नोट :-** भवन का प्रस्तावित विक्रय मूल्य उपरोक्तानुसार दर्शाये गये मानक सुपर क्षेत्रफल के अनुसार लिया गया है। मानक क्षेत्रफल इससे अधिक होने पर तदनुसार अतिरिक्त मूल्य देय होगा। वर्तमान में पंजीकरण धनराशि पर कोई सेवाकर देय नहीं है, परन्तु मांग पत्र जारी होने पर पंजीकरण धनराशि एवं किश्तों की देय धनराशि पर सेवाकर अलग से देय होगा।

## आपको भवन स्वामी बनाने के उद्देश्य से

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद मेरठ में संचालित जागृति विहार (विस्तार), योजना मेरठ में आपकी क्रय क्षमता एवं पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवासीय सम्पत्तियों के लिए पंजीकरण दिनांक 28 फरवरी, 2014 से दिनांक 28 अप्रैल, 2014 तक के लिये प्रारम्भ किया जा रहा है।

## सुगम भुगतान

आप अपनी क्रय क्षमता एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक किशतों पर भुगतान कर सकते हैं।

## फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	सुपर एरिया (वर्ग मी०)	प्राविधान
1.	F-32	30.12	32.95	लिविंग रूम, 1 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी, 1 WC, 1 बॉथ
2.	F-64	61.89	64.24	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 2 टॉयलैट्स
3.	F-100	84.34	99.84	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 1 यूटीलिटी, 2 बालकनी, 2 टॉयलैट्स
4.	F-127	111.81	126.81	लिविंग रूम, 3 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 3 टॉयलैट्स

## फ्लैट्स की विशिष्टियाँ

### फ्लैट F-32

आर०सी०सी० स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : सी०सी० फ्लोर, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी रिकड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयरन, दरवाजे : फ्लश डोर शटर्स, खिड़कियाँ : ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: कलर वॉश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वॉटर प्रूफ सीमेन्ट पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर पी०वी०सी० टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

### फ्लैट F-64

आर०सी०सी० स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : विट्रीफाईड फ्लोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी रिकड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयरन, दरवाजे : फ्लश डोर शटर्स, खिड़कियाँ : ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: कलर वॉश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर एपेक्स, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर पी०वी०सी० टैंक का प्राविधान किया जायेगा।